न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 403 / 2017 निर्णय दिनांक :–16.10.19

उनवानी दावा :

1.गोपाल पुत्र श्री ओंकार जाति धाकड़ उम्र 60 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. लादू पुत्र राधाकिशन जाति माली उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. नाथूलाल पुत्र राधाकिशन जाति माली उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. हीरालाल पुत्र राधाकिशन जाति माली उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति माली उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थितिः–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीा की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 719 ख0 नं0 3238 रकबा 0.26 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.26 है0 वाके तनग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पहले अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खाता नं. 1148 ख0 नं0 3239 रकबा 1.06 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.15 है0 वाके तनग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की उतर दिशा में पश्चिम में स्थित आम रास्ते से पूर्व दिशा की तरफ अपनी स्वयं की उक्त भूमि में आता–जाता रहा है तथा उक्त रास्ते से उपयोग प्रार्थी काफी वर्षो से करता चला आ रहा है तथा काश्तकारी कार्य करता रहा है और उक्त रास्ता ही प्रार्थी का कदीमी रास्ता है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही स दर्शया गया है लेकिन प्रार्थी की भूमि पर विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है और अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 ने तारबंदी करके उक्त रास्ते को बंद कर दिया है। इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता किदनवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिनलवाया गया

तो प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थी व इसके परिवारजन भूखे मर जायेगे। अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने के कारण प्रार्थी अपनी भूमि में पड़े हुए चारे को निकाल नही पा रहा है तथा ना ही फसल काश्त कर पा रहा है। प्रार्थी रास्ते की नियमानिुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाये तथा राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी नं. 5 तहसीलदार व रिपोर्ट अनुसार ग्राम नासिरदा के आराजी ख. न. 3239 रकबा 1.06 है0 खातेदार लादूलाल, नाथूलाल, हीरालाल, जगदीश, पुत्र राधाकिशना, जाति माली परिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। यह आराजीयात नासिरदा से ढाबी वाले रास्ते पर स्थित है जिसके ख. नं. 3236 रकबा 0.82 है0 गै.मु. रास्ता दर्ज है। प्रार्थी गोपाल पुत्र औकार स्वयं की खातेदारी भूमि ख. नं. 3228 रकबा 0.26 है0 पर जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रासता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 3238 रकबा 0.26 है0 पर जाने के लिए आ.ख.न. 3239 रकबा 1.06 है0 में होकर अतिआवश्यक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 28 मीटर व चौडाई 6 मीटर बराबर 168 वर्गमीटर व लगभग 0.02 है0 भूमि होगी। ग्राम नासिरदा की सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 3544 रू0 प्रति ऐयर है अतः प्रस्तावित रास्ते की दुगनी दर सवे 7,088 X 2 = 14,176 रू0 होगी। आवेदन की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 3238 रकबा 0.26 है0 स्वयं की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ग्राम नासिरदा के खसरा नम्बर 3239 रकबा 1.06 है0 में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शों में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रकबे(रास्ते) के मध्य पेड दिवार इत्यदि निर्माण नही है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है।

अप्रार्थीगण 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण धाकड़ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जिसमें चरण नं. 1 व 2 को स्वीकार, चरण नं. 4 से 6 में जवाब की आवश्यकता नहीं है, कानूनी है। चरण नं. 7 को गलत बताया है व अस्वीकार किया है। चरण नं. 4 को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया है। चरण नं. 5 व 6 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। **विशेष आपतियों** में बताया कि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख. नं. 3239 आम रास्ते पर स्थित है तथा प्रार्थी की भूमि ख. नं. 3228 के अड़वा ही स्थित है। प्राथ्री नाजायज रू॰ से रोड़ के समीप होने के करण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की खातेदारी व कब्जकाश्त की भूमि ख. नं. 3239 में जबरन रास्ता निकलवाना चाहत है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कयशुदा भूमि आराजी ख. नं. 3238 तथा इससे पूर्व खातेदारी/विकेता जो नासिरदा से रतनपुरा जाने वाला रास्ता आराजी ख. नं. 3210 जो गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज है, जिसमें से आराजी ख. नं. 3223, 3222, 3221, 3233 में हाकर अपनी खातेदारी की भूमि में आता–जाता रहा है। लेकिन लम्बी दूरी होने के कारण प्राप्रि जबरन अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की खातेदारी की भूमि से रास्ता निलकलवाना चाहता है। प्रार्थी बिवधिवत रूपा से कदीमी रास्ता आराजी ख. नं. 3223, 3222, 3221, 3233 में से अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने का रास्ता प्राप्त करे जिसमें अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 को कोई अपाति नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी ख. नं. 3239, 3237, व 3234 का स्वरू॰ बिगाड़ने की नियत से रास्ता प्राप्त करना चाहता है जिसका कि प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

2

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को ख. नं. 901 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थी एक बहुत ही गरीब काश्तकार है जिसको कोई भी अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं देता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बताये रास्ते का कोई अस्तीत्व नहीं है और ना ही प्रार्थी इसमें से आता जाता है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी भूमि पड़त रह जाऐगी और प्रार्थी को अपने परिवार के जीवन यापन में बहुत परेशानी होगी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में जवाब के तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए नहर से कदमी रास्ता बना हुआ है और सभी लोग उस रास्ते से आते जाते है ओर प्रार्थी भी वहां से अपनी आराजी में आ जा सकता है इसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी में से रास्ता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी व अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार के अनुसार ख. नं. 3238 रकबा 0.26 है0 वाके तनग्राम नासिरदा मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी के अनुसार प्रार्थी विधिवत रूप से कदीमी रारस्ता ख. नं. 3223, 3222, 3221, 3233 में से आते जाते रहे है परन्तु इन खसरा नम्बरो से लम्बी दूरी होने के कारण व ख. नं. 3239, 3237, व 3234 का स्वरूप बिगाड़ने की नियत से रास्ता प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन व तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई विधिवत रास्ता उपलब्ध नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दर्शित लाल स्याही अनुसार ख. नं. 3239 में से प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 28 मीटर अर्थात 168 वर्गमीटर जो कि लगभग 0.02 है0 क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थी द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 14,176/–रूपये अथवा वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि जो भी अधिक हो, की गणना कर जमा कर करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली